खण्ड–4, अंक–1
सोमवार, 7 कार्तिक, शक संवत् 1923
(29 अक्टूबर, 2001 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(अनन्तिम विधान सभा)

(तृतीय सत्र, 2001)

(खण्ड 4 में 4 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय–सूची

विषय				पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	क
वन्दे मातरम्	...	...	...	1
प्रश्नोत्तर	...	...	...	1–29
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा त्याग–पत्र की घोषणा			...	29
एजेन्डा के विपरीत विशेष परिस्थिति/राजनैतिक संकट होने की जानकारी चाहने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न			...	29
त्याग–पत्र की घोषणा पर चर्चा जारी		...	...	30
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित			...	34
नत्थियां	...	...	...	35–36

उत्तरांचल विधान सभा

सोमवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001

निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे।

1. श्री अजय भट्ट
2. श्री अम्बरीष कुमार
3. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
4. श्री ईसम सिंह
5. श्री केदार सिंह फोनिया
6. श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
7. काजी मो0 मोहिउद्दीन
8. श्री तिलक राज सिंह बेहड़
9. श्री तीरथ सिंह रावत
10. श्री नारायण सिंह राणा
11. श्री नारायण राम दास
12. श्री नित्यानन्द स्वामी
13. श्रीमती निरूपमा गौड़
14. श्री बिशन सिंह चुफाल
15. श्री भगत सिंह कोश्यारी
16. श्री भारत सिंह रावत
17. श्री मातबर सिंह कण्डारी
18. श्री मुन्ना सिंह चौहान
19. श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"
20. श्री रघुनाथ सिंह चौहान
21. श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"
22. श्री राजेन्द्र सिंह
23. श्री राम सिंह सैनी
24. श्री लाखी राम जोशी
25. श्री बंशीधर भगत
26. श्री सुरेश चन्द्र आर्य
27. श्री हरबंस कपूर
28. श्री ज्ञान चन्द

सोमवार, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।
सुजलाम्।
सुफलाम्।
मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम्।
मातरम्। वन्दे मातरम्।।
शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्
फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम्। वन्दे मातरम्।।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विद्युत परिसम्पत्तियों के बंटवारे हेतु समझौते की जानकारी

**1–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ विद्युत परिसम्पत्तियों (जल विद्युत परियोजनाओं सहित) के बंटवारे हेतु कोई समझौता हो गया है?

यदि हाँ, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई एवं ऊर्जा मंत्री (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह प्रकरण केन्द्र सरकार को संदर्भित है।

तारांकित प्रश्न

बाल सुधार गृह देहरादून को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने विषयक

*1–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्यमंत्री जी को जानकारी है कि बाल सुधार गृह देहरादून का निरीक्षण मा0 बाल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 3–3–2000 को किया गया था?

यदि हाँ, तो निरीक्षण आख्या में उक्त भवन को सुरक्षित पाया गया।

यदि नहीं, तो सुधार गृह को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

यदि हाँ, तो कहाँ?

यदि नहीं, तो क्यों?

मा0 मुख्यमंत्री (श्री नित्यानन्द स्वामी)–

जी हाँ।

माननीय बाल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 3–3–2000 को बाल सुधार गृह देहरादून के निरीक्षणोपरान्त अपनी निरीक्षण आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि जब यहाँ बाल अपराधियों को भेजा जाता है तो सुरक्षा की दृष्टि से इस भवन के चारों ओर कोई चारदीवारी नहीं है तथा कमरों की खिड़की भी खुले स्थान पर खुलती है जिससे बाल अपराधियों के भागने का अंदेशा बना रहता है।

भवन स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में माननीय बाल न्यायाधीश द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। केवल सुरक्षा की दृष्टि से उपाय करने को कहा गया था जिसका अनुपालन किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थापित करने की मांग

*2–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या माननीय मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अल्मोड़ा आगमन पर क्षेत्रीय जनता की भावनाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधियों द्वारा अल्मोड़ा में उत्तरांचल लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अविलम्ब स्थापित करने की मांग उठायी गई थी और तत्सम्बन्धी ज्ञापन दिनांक 20–12–2000 को दिया गया था? यदि हाँ, तो क्या सरकार उत्तरांचल में

लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थापित करने जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

प्रकरण के सभी पहलुओं का अध्ययन के पश्चात् उत्तरांचल लोक सेवा आयोग की स्थापना हरिद्वार में की जा चुकी है।

छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन हेतु नीतियों के निर्धारण की जानकारी

*3–श्री मुन्ना सिंह चौहान–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि छटनीशुदा कर्मचारियों के समायोजन के लिए सरकार की क्या कोई नीति निर्धारित है? यदि हाँ, तो क्या समायोजन के लिए छटनी की कोई "कट ऑफ डेट" निर्धारित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उत्तरांचल के गठन के पश्चात् सरकार द्वारा किसी भी विभाग के कर्मचारियों की छटनी नहीं की गयी है। जहाँ तक पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 द्वारा छटनी किये गये कर्मचारियों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम आवंटन किये जाने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

राज्य सड़क परिवहन निगम की परिसम्पत्तियों के बंटवारे के सम्बन्ध में

*4–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 रा0स0प0नि0 की परिसम्पत्तियों को राज्य विभाजन के फलस्वरूप उत्तरांचल को दे दिया गया है?

यदि नहीं तो यह निर्णय कब तक हो जायेगा?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

वर्तमान में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तरांचल में परिवहन सेवाएं प्रदान कर रहा है। उत्तरांचल में परिवहन सेवाओं के ढाँचे का प्रारूप तैयार करने हेतु राष्ट्रीय सड़क परिवहन संस्थान पुणे से एक अध्ययन करवाया जा रहा है।

उक्त अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही दोनों राज्यों के बीच परिसम्पत्तियों के बंटवारे पर निर्णय लिया जायेगा।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 35 पर)

नेपाल सीमा पर आई0एस0आई0 की गतिविधियों को रोकने हेतु कार्ययोजना की जानकारी

*5–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नेपाल सीमा पर लगे जनपदों में आई0एस0आई0 की गतिविधियों की कोई जानकारी है?

यदि हाँ, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने कोई विशेष कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ, तो उसका क्या विवरण है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

भारत नेपाल सीमा पर आई0एस0आई0 की गतिविधियाँ प्रकाश में नहीं आयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति सार्वजनिक तौर पर घोषित करने की मांग

*6–श्री लाखी राम जोशी–

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल शासन में विभिन्न पदों पर तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं प्रान्तीय सेवाओं के अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति सार्वजनिक तौर पर घोषित कराने हेतु कोई नीतिगत निर्णय लेने पर विचार किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या मंत्रियों/विधायकों की तरह उक्त सेवा में अधिकारियों से सम्पत्ति की घोषणा करायी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी नहीं।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सम्पत्ति विवरण प्रतिवर्ष देने का प्राविधान अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली, 1968 में है तथा प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों से उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली, 1956 के अनुसार प्रति पाँच वर्ष में सम्पत्ति का विवरण देने का प्राविधान पूर्व से ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

बाजारों में नकली नोटों के प्रचलन पर रोक हेतु कार्य योजना की मांग

*7–श्री राम सिंह सैनी–

क्या मा0 मुख्यमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के उद्देश्य से राज्य के बाजारों में भारी मात्रा में नकली नोट प्रचलन के

मामले शासन के संज्ञान में आये हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इनको रोकने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जाली नोटों के प्रयोग के दो अपराधिक प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

नकली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिये पुलिस अधीक्षकों को सतर्कता बरतने के लिये कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं तथा सभी संबंधित को उचित मार्गदर्शन दिया गया है।

टनकपुर–जौलजीवी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी

*8–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि निर्माणाधीन टनकपुर–जौलजीवी मोटर मार्ग लम्बाई 109 कि0मी0 की निर्माण कार्य की प्रगति क्या है?

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त मोटर मार्ग जो कि जनपद चम्पावत–पिथौरागढ़ के अति दूरस्थ पिछड़े काली नदी के किनारे से लगे क्षेत्र के साथ ही सीमान्त तहसीलें मुन्स्यारी व धारचूला को भी सीधे जोड़ता है?

यदि हाँ, तो इस अत्यन्त जन–उपयोगी सड़क के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने एवं इसमें आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार की कार्य योजना क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

टनकपुर–जौलजीवी मोटर मार्ग का निर्माण शासनादेश दिनांक 18–8–94 के अनुपालन में जौलजीवी की तरफ से प्रारम्भ कर कि0मी0 1 से 4 तक मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। कि0मी0 15 में सेतु निर्माण तथा कि0मी0 17 में 250 मीटर के पहाड़ कटान को छोड़कर, कि0मी0 18.50 तक चट्टान कटान व दीवार निर्माण के कार्य पूर्ण हैं। सेतु निर्माण एवं 250 मीटर के पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है।

जी हाँ।

काली नदी पर पंचेश्वर बांध परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले विभिन्न बांधों की ऊँचाई, जल स्तर आदि तय नहीं है। ऐसी स्थिति में संभावना है कि मार्ग का अधिकांश भाग डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आयेगा। उक्त बांध के निर्माण हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही शेष निर्माण करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य के मंत्रियों/अधिकारियों के लिए क्रय किये गये वाहनों के व्यय की जानकारी

*9–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के मंत्रियों/

अधिकारियों के प्रयोग हेतु कितने नये वाहन क्रय किये गये (31–1–2001 तक) इन वाहनों का मूल्य कितना है? कितना धन बीमा हेतु दिया गया तथा पंजीकरण शुल्क तथा रोड टैक्स के रूप में कितने धन का व्यय हुआ?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उत्तरांचल राज्य के मंत्रियों/अधिकारियों के प्रयोग हेतु दिनांक 31–1–2001 तक 93 वाहन क्रय किये गये हैं, जिनका मूल्य रु0 3,45,32,978.50 है। उक्त 93 वाहनों पर पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स एवं बीमा हेतु कोई भी अतिरिक्त धनराशि व्यय नहीं की गई है।

मोटर मार्ग के निर्माण में आ रहे अवरोधों को दूर करने हेतु किये जा रहे प्रयास की जानकारी

*10–श्री ज्ञान चन्द–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन अधिनियम के कारण जनपद उत्तरकाशी में स्वीकृत कितने मोटर मार्गों का कार्य रूका पड़ा है?

स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण में आ रहे अवरोधों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जनपद उत्तरकाशी में वर्तमान में वन अधिनियम के कारण 25 मोटर मार्गों का निर्माण कार्य रुका हुआ है। इनमें से 5 मोटर मार्गों की वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों पर भारत सरकार वन विभाग से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं एवं क्षतिपूर्ति धनराशि वन विभाग को भुगतान कर दी गयी है। परन्तु इन पर भी भारत सरकार की विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित है।

स्वीकृत मोटर मार्गों के निर्माण में वन भूमि हस्तांतरण में आ रहे अवरोधों को दूर करने हेतु विभाग द्वारा वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सफाई कर्मचारियों की संख्या का मानक निर्धारण की जानकारी

*11–श्री हरबंस कपूर–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने सफाई कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई मानक निर्धारित किये हैं?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

*12–श्री ईसम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में उ0प्र0 के विकल्पधारी शिक्षकों की कितनी संख्या है और इन्हें कब तक कार्यमुक्त किया जा रहा है?

क्या मंत्री जी यह भी जानकारी देने का कष्ट करेंगे कि इन शिक्षकों को उ0प्र0 के लिए कार्यमुक्त करने में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उत्तरांचल राज्य में उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षकों की कुल संख्या 5004 है। शासन विकल्पधारियों को कार्यमुक्त करने के लिए सहमत है। उत्तर प्रदेश शासन से सहमति प्राप्त नहीं हुई है। दोनों राज्यों की परस्पर सहमति के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 36 पर)

अतारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा–पिथौरागढ़ मोटर मार्ग का रख–रखाव हेतु धन आवंटन की मांग

1–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या सरकार को जानकारी है कि अल्मोड़ा–पिथौरागढ़ मोटर मार्ग सीमा सड़क सुरक्षा संगठन (डी0जी0बी0आर0) के पास था और उसके बाद इस मोटर मार्ग का रख–रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है?

यदि हाँ, तो इसके रख–रखाव के लिए शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग को धनराशि स्वीकृत की गयी है?

यदि हाँ, तो कितनी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

अल्मोड़ा–पिथौरागढ़ मोटर मार्ग सीमा–सड़क–सुरक्षा संगठन (डी0जी0बी0आर0) के पास था और सितम्बर, 2000 से इस मार्ग का रख–रखाव लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

जी हाँ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक इस मार्ग के रख–रखाव हेतु सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत रु0 3.00 लाख एवं विशेष मरम्मत के अन्तर्गत रु0 25.00 लाख, कुल रु0 28.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट नगर व ग्रामीण क्षेत्र में रामगंगा नदी से पम्पिंग पेयजल योजना के क्रियान्वयन की जानकारी

2–श्री रघुनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट नगर व ग्रामीण क्षेत्र में राम गंगा नदी से पम्पिंग पेयजल योजना का क्रियान्वयन का निर्णय प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1998–99 में लिया गया था?

यदि हाँ, तो उक्त परियोजना का कार्य सरकार कब तक प्रारम्भ कराने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी नहीं।

द्वाराहाट नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की 3 असेवित बस्तियों को सम्मिलित करते हुए रामगंगा नदी से द्वाराहाट पुनर्गठन पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 893.64 लाख वर्ष 2001–02 में त्वरित नागर कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित की गयी है तथा प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु संदर्भित किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

मोटरमार्ग में बीट बेलदारों के मानकों में परिवर्तन की मांग

3–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पक्के मोटर मार्गों में एक बीट में बेलदारों का मानक 7/20 है, जो पर्वतीय जनपदों के लिये उपयुक्त नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन मानकों को परिवर्तन करेगी?

यदि करेगी, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

जी हाँ।

इन मानकों को पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किये जाने हेतु मुख्य अभियंता, स्तर–1, लो0नि0वि0 द्वारा अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं से सुझाव मांगे गये हैं। उक्त सुझाव प्राप्त होने पर मामले में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की नियुक्ति की मांग

4–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों में एकल अध्यापक हैं?

क्या इन एकल प्राथमिक विद्यालयों में सरकार "शिक्षा मित्र" अध्यापकों की नियुक्ति करेगी?

यदि करेगी, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जनपद पिथौरागढ़ में कुल 326 प्राथमिक विद्यालयों में एकल अध्यापक की व्यवस्था है।

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ के प्राथमिक विद्यालयों हेतु कुल 326 शिक्षा मित्रों में से 270 शिक्षा मित्रों की व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। अवशेष 56 शिक्षा मित्रों की तैनाती की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के राजकीय कालेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

5–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय इण्टर कालेजों में कुल कितने प्रवक्ता पद रिक्त हैं?

क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता के कुल 278 पद रिक्त हैं।

जी हाँ। प्रवक्ता के 278 पदों के विरुद्ध शैक्षिक हित में 117 शिक्षा बन्धु की वैकल्पिक नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 65 शिक्षक बन्धु का चयन किया जा चुका है।

रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

मानक से अधिक संख्या में विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों को अन्य विद्यालयों, जहां पद रिक्त हैं, पर नियुक्त करने की मांग

6–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों में मानक से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं?

क्या इन मानक से अधिक अध्यापकों को अन्य प्राथमिक विद्यालयों, जहां रिक्त पद हैं, स्थानान्तरित करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जनपद पिथौरागढ़ में कुल 06 प्राथमिक विद्यालयों में मानक से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं।

जी हाँ।

इन 06 विद्यालयों से रिक्त पद वाले विद्यालयों में स्थानान्तरण हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के गोरी नदी, नहर देवी व कौली के बह गये झूला पुलों का निर्माण कराने की मांग

7–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में अगस्त, 2000 को अतिवृष्टि से गोरी नदी, नहर देवी तथा कौली के पास झूला पुल बह गये थे?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन झूला पुलों का निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

अगस्त, 2000 में नहर देवी नामक स्थान पर बनाया गया मार्ग नदी द्वारा बहा दिया गया था। इस स्थान पर पुल नहीं था।

अगस्त, 2000 में अतिवृष्टि से गौरी नदी में कौली नदी के पास का झूला पुल ही मात्र बह गया था।

जी हाँ।

कौली नदी के पास स्वीकृत मोटर सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसका निर्माण कार्य वर्ष, 2002 तक पूर्ण होने की संभावना है। उक्त सेतु के निर्माण के बाद झूला पुल की आवश्यकता नहीं रहेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के स्वालेक से रैसापाटा तक स्वीकृत सड़क का निर्माण की जानकारी

8–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में स्वालेक से रैसापाटा तक 3 कि0मी0 सड़क सन् 1997–98 में स्वीकृत की गई थी?

यदि हाँ, तो क्या स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य कराया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति वर्ष 1998–99 में प्रदान की गई थी।

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग के संरेखण का मामला सुलझाने एवं वन भूमि हस्तातंरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ मुनस्यारी से बोगड्यार (मिलम) तक स्वीकृत शेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की जानकारी

9–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी से बोगड्यार (मिलम) मोटर मार्ग सन् 1975 में 32 कि0मी0 स्वीकृत हुई थी, जिसमें मात्र 4 कि0मी0 का ही निर्माण हुआ है?

यदि हाँ, तो क्या स्वीकृत शेष मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक कराया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी बोगड्यार (मिलम) मोटर मार्ग 1975 में 32 किमी0 स्वीकृत न होकर मात्र दरकोट–थापा मोटर मार्ग के नाम से शासनादेश दिनांक 7–9–02

द्वारा लम्बाई मात्र 4.00 किमी0 की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसके विरुद्ध 3.375 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था। निर्माण अवधि के दौरान ही उक्त सड़क, सीमा सड़क संगठन को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के बाल सुधार गृह को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

10–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या समाज कल्याण, मंत्री बतायेंगे कि जनपद देहरादून के बाल सुधार गृह को तकनीकी/सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित देखते हुए निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्रांक संख्या 97–99/म0क0निदे0/प्रोबे0/2000–2001, दिनांक 29 मई, 2000 के द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु लिखा गया था?

यदि हाँ, तो क्या उक्त भवन स्थानान्तरित कर दिया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 29–5–2000 में उक्त भवन को तकनीकी/सुरक्षा की दृष्टि से असुरक्षित देखते हुए नहीं बल्कि भवन स्वामी के साथ चल रहे वाद को देखते हुए जिलाधिकारी को लिखा था।

जी नहीं।

वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

डोईवाला में महाविद्यालय का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की जानकारी

11–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाविद्यालय डोईवाला के पदों की स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी तथा महाविद्यालय में शिक्षण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

डोईवाला महाविद्यालय के पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में गैर सरकारी सलाहकारों की नियुक्ति के औचित्य की जानकारी

12–श्री लाखीराम जोशी–

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके सचिवालय में गैर सरकारी सलाहकारों की नियुक्तियां की गई हैं?

यदि हाँ, तो नियुक्तियों का क्या औचित्य है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

विभिन्न राजकीय कार्यों में सलाह हेतु उक्त नियुक्तियां की गई हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल में आने वाले इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों को ज्वाइनिंग देने की जानकारी

13–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या मुख्यमंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में आने के इच्छुक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कब तक उत्तरांचल में ज्वाइन करा दिया जायेगा?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तरांचल हेतु कार्मिकों का आवंटन भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन होने पर यथास्थिति कार्यवाही की जायेगी।

उत्तरांचल के विकास हेतु विश्व बैंक से परियोजनाओं को स्वीकृत कराने में सरकार की सफलता व प्रयास की जानकारी

14–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या मुख्यमंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश के विकास हेतु विश्व बैंक से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृत कराने में सरकार अब तक सफल रही है और किन योजनाओं के सम्बन्ध में प्रयास जारी है?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उत्तरांचल राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व से उत्तरांचल प्रदेश के विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता से निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही हैं :–

1. कृषि विविधीकरण परियोजना (डैस्प);
2. आई0डब्ल्यू0डी0पी0, शिवालिक (हिल्स–II);

3. स्वजल परियोजना;
4. वानिकी परियोजना;
5. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0–III);
6. हैल्थ सिस्टम्स परियोजना।

उक्त में से आई0डब्ल्यू0डी0पी0 शिवालिक (हिल्स–II) परियोजना पूर्व से ही उत्तरांचल में स्थित जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। शेष परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबन्ध इकाइयों का भी उत्तरांचल में गठन किया जा चुका है।

जनपद पिथौरागढ़ में खेल निदेशालय खोलने की मांग

15–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या मुख्यमंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है?

क्या खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को देखते हुये सरकार जनपद पिथौरागढ़ में खेल निदेशालय खोलेगी?

यदि खोलेगी, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

जी नहीं।

खेल निदेशालय, रायपुर स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून में स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है और तत्सम्बन्धी आदेश दिनांक 13–8–2001 को जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षकों के स्थानान्तरण में स्वेच्छाचारिता नीति अपनाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

16–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कितने शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश 31–12–2000 तक निर्गत किये गये हैं।

क्या यह भी सही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी करने में स्वेच्छाचारिता अपनाई गई है?

यदि हाँ, तो ऐसे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि से दिनांक 31–12–2000 तक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 07 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

जी नहीं। 02 अध्यापकों के स्थानान्तरण अपर शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल, लखनऊ के अनुमोदन पर तथा 05 अध्यापकों का स्थानान्तरण नवीन विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित न होने के उद्देश्य से किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने हेतु कार्य योजना की जानकारी

18–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं तथा उनमें कितने पद अध्यापकों के रिक्त हैं?

क्या सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जनपद अल्मोड़ा में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुल 1360 प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें 731 अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों को भरने हेतु शिक्षा मित्र की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एल0टी0 वेतनमान व प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

19–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में कितने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय इण्टर कालेज संचालित हैं तथा इन विद्यालयों में कितने एल0टी0 वेतनमान के तथा प्रवक्ताओं के कुल कितने पद रिक्त हैं?

क्या इन विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति सरकार करने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जनपद अल्मोड़ा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय इण्टर कालेजों की संख्या तथा उनमें रिक्त प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम एल0टी0 तथा प्रवक्ता के रिक्त पदों के विवरण निम्नवत् हैं :–

विद्यालय की संख्या		रिक्त पदों के विवरण	
		एल0टी0 वेतनक्रम	प्रवक्ता
रा0उ0मा0वि0	69	223	311
रा0इ0का0	73		
योग	142		

जी हाँ।

प्रशिक्षित स्नातक वेतनमान (एल0टी0 ग्रेड) के शिक्षकों के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध 92 शिक्षा बन्धुओं के चयन का लक्ष्य रखा गया है। चयन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी के प्रधानाध्यापकों/स0 अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

20–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों के स्वीकृत पद कितने हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने अध्यापक नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

क्या रिक्त पदों पर सरकार शीघ्र नियुक्ति करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उत्तरांचल में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 8438 तथा सहायक अध्यापकों के 19686 पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पदों के सापेक्ष 7427 प्रधानाध्यापक तथा 14917 सहायक अध्यापक नियुक्त हैं। इस प्रकार प्रधानाध्यापक के 1011 तथा सहायक अध्यापकों के 4769 पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील मुनस्यारी व धारचूला के सीमा से छिपला कोट तक अश्व मार्ग के निर्माण

21–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी व धारचूला के सीमा से लगी बांगपानी नामक स्थान के प्रसिद्ध रमणीय व धार्मिक स्थल छिपलाकोट तक प्रस्तावित अश्व मार्ग निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त अश्व मार्ग की कुल अनुमानित लागत क्या है? तथा निर्माण कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

बांगपानी नामक स्थान से छिपलाकोट तक अश्व मार्ग निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है, अतः सर्वेक्षण कार्य का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना निदेशक, डूडा द्वारा युवा कल्याण समिति को अवमुक्त धनराशि को मय ब्याज के जमा करने की जानकारी

22–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि परियोजना निदेशक, डूडा, देहरादून ने अपने पत्रांक 712/डूडा/एन0डी0पी0/99–2000, दिनांक 8–3–2000 के द्वारा युवा कल्याण समिति को अवमुक्त धनराशि रु0 2,17,070.00 मय ब्याज जमा करने हेतु लिखा था?

यदि हाँ, तो क्या उक्त धनराशि मय ब्याज जमा हो गई थी?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

उक्त पत्र दिनांक 8–3–2000 निर्गत करने के पश्चात् संस्था द्वारा किये गये कार्यों के व्यय विवरण प्रस्तुत किये गये, जिसमें से किये गये कार्यों के सापेक्ष रु0 77,500.00 का समायोजन करते हुए शेष धनराशि रु0 1,39,570.00 के वसूली प्रमाण–पत्र जारी किये गये। जिसके सापेक्ष कुल रु0 1,39,570.00 की वसूली हो चुकी है, किन्तु ब्याज की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त धनराशि रु0 1,39,570.00 दिनांक 9–2–2001 को कार्यालय में प्राप्त हो चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नगरीय विकास अभिकरण, देहरादून के कार्यों का भौतिक सत्यापन के बाद की गई कार्यवाही की जानकारी

23–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि नगरीय विकास अभिकरण, देहरादून में वर्ष 1989–99 व 1999–2000 को कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया था?

भौतिक सत्यापन के आधार पर अनियमितताएं पाये जाने पर कितनी आर0सी0 जारी की गई थी?

क्या यह भी बतायेंगे कि जारी आर0सी0 के विरुद्ध कितनी निरस्त की गई तथा कितनी आर0सी0 के विरुद्ध वसूली हुई तथा निरस्त होने वाली आर0सी0 किस आधार पर निरस्त की गई?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

भौतिक सत्यापन के आधार पर कुल 114 आर0सी0 जारी की गई थीं।

जारी आर0सी0 में से कुल 52 आर0सी0 निरस्त की गई तथा कुल 14 आर0सी0 की वसूली की गई। आर0सी0 निरस्त करने के सम्बन्ध में लाभार्थियों द्वारा प्रत्यावेदन के आधार पर पुनः सत्यापन करवाया गया और कार्य सन्तोषजनक पाये जाने के कारण आर0सी0 निरस्त की गई।

मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के कार्यस्थगन व वसूली के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

24–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरीय विकास अभिकरण, देहरादून के अन्तर्गत होने वाले राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत आर0सी0वी0 ट्रेनिंग के कार्य को परियोजना निदेशक, डूडा, देहरादून ने अपने पत्रांक 713/11/डूडा/एन0एस0डी0 पी0/99–2000, दिनांक 8–2–2000 के द्वारा तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया था?

क्या यह सही है कि उक्त पत्र जिलाधिकारी/अध्यक्ष–डूडा के पत्र को सापेक्ष में दिया गया था?

क्या उक्त स्थगन को निरस्त किया गया था?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो उक्त योजनान्तर्गत कार्य कैसे किये गये?

क्या उक्त तिथि को ही परियोजना निदेशक द्वारा अपने पत्रांक 712/डूडा/एन0एस0 डी0पी0/99–2000 के द्वारा युवा कल्याण समिति को अवमुक्त धनराशि मय ब्याज के जमा कराने हेतु निर्देशित किया था?

यदि हाँ, तो कार्यस्थगन एवं वसूली के आदेश अध्यक्ष, डूडा, देहरादून द्वारा दिये जाने का क्या औचित्य एवं आधार था?

क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

पत्र दिनांक 8–2–2000 द्वारा नहीं, बल्कि दिनांक 8–3–2000 द्वारा रोक दिया गया था।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

योजनान्तर्गत कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कराये गये।

जी हाँ।

संस्था द्वारा किये गये कार्यों का संतोषजनक न होना, कार्य आदेश एवं अग्रिम धनराशि प्राप्त करने के सात माह तक भी कार्य न करना तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 948/69–1–2000–21 (स)/99, दिनांक 7–3–2000 द्वारा सामाजिक कार्यों का सम्पादन केवल सामुदायिक विकास समितियों से ही कराने के निर्देश प्राप्त होने के कारण उक्त कार्यवाही की गई।

प्रश्न ही नहीं उठता।

परियोजना निदेशक द्वारा किये गये कार्य नियमानुसार तथा शासनादेशों के अनुरूप होने के कारण।

आनन्दमयी इन्टर कालेज, हरिद्वार में छात्राओं के मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने की जानकारी

25–श्री राम सिंह सैनी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका, हरिद्वार द्वारा संचालित आनन्दमयी इण्टर कालेज, हरिद्वार में छात्राओं के लिये मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं?

यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है और यह कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

आनन्दमयी इण्टर कालेज म्यु0 महिला इण्टर कालेज, हरिद्वार का संचालन नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जा रहा है और वर्तमान में छात्राओं के लिये विद्यालय में न्यूनतम

मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पिथौरागढ़ जनपद में सैनिक पॉलिटैक्निक का प्रस्ताव जिला योजना में स्वीकृत किये जाने की मांग

26–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिथौरागढ़ जनपद हेतु एक सैनिक पॉलिटैक्निक प्रस्तावित है?

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि मूल जनपद से चम्पावत जिला अलग होने के कारण पिथौरागढ़ में पॉलिटैक्निक की आवश्यकता एवं निकट भविष्य में प्रस्ताव होने पर विचार किये जाने सम्बन्धी उ0प्र0 सरकार प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या वी0आई0पी0–7/16–प्रा0शि0 3–46(47)/99, दिनांक 4–4–2000 के अनुसार जिला योजना के अन्तर्गत पॉलिटैक्निक का प्रस्ताव प्रेषित है?

यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2000–2001 में प्रस्ताव स्वीकृत किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण, कारागार, उद्यान तथा राष्ट्रीय एकता, तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री नारायण राम दास)–

जी नहीं।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर वर्ष 2002–2003 में यथासमय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2000–2001 के लिए सम्प्रति कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जूनियर हाई स्कूल घंघोड़ा, देहरादून की भूमि एवं भवन विवाद की प्राप्त जांच पर कार्यवाही की मांग

27–श्री हरबंस कपूर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 11 जी0आर0सी0 जू0 हाई स्कूल घंघोड़ा, देहरादून की भूमि एवं भवन के विवाद के सम्बन्ध में श्री आर0पी0 डंडरियाल की आख्या 20 फरवरी, 2001 उन्हें प्राप्त हो गयी है?

यदि हाँ, तो प्रस्तुत आख्या में व्यक्त अभिमत के अनुरूप कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून के लक्ष्मण चौक व पार्क रोड क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के उपाय की जानकारी

28–श्री हरबंस कपूर–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के लक्ष्मण चौक, पार्क रोड आदि क्षेत्र की गम्भीर पेयजल स्थिति के सम्बन्ध में कोई पत्र दिनांक 06–03–2001 को उनको प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में समाधान हेतु कोई उपाय किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

इस क्षेत्र हेतु अधिष्ठापित नलकूपों की क्षमता के आधार पर आवश्यकतानुसार लगभग 170 एल0पी0सी0डी0 पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। भविष्य में एक नलकूप की और आवश्यकता होगी जिस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नगर निगम, देहरादून के डी0एल0 रोड, आर्यनगर क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान के उपाय की जानकारी

29–श्री हरबंस कपूर–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के डी0एल0 रोड, आर्य नगर आदि क्षेत्र की गम्भीर पेयजल की स्थिति के सम्बन्ध में कोई पत्र दिनांक 06–03–2001 का उनको प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु कोई उपाय किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

इस क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु नलकूप निर्माण की योजना है किन्तु नलकूप की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। योजना के विरचन की कार्यवाही भूमि उपलब्ध होने पर ही सम्भव है।

देहरादून के खुड़बुड़ा, आनन्द चौक क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान हेतु कार्ययोजना की जानकारी

30–श्री हरबंस कपूर–

क्या मुख्यमंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र के खुड़बुड़ा, आनन्द चौक आदि क्षेत्र की गम्भीर पेयजल स्थिति के सम्बन्ध में कोई पत्र दिनांक 06–03–2001 का उनको प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो उक्त क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में समाधान हेतु कोई उपाय किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

इस क्षेत्र हेतु एक अतिरिक्त नलकूप बनाने का प्रस्ताव है किन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण योजना कार्यान्वित नहीं हो पा रही है।

कर्मचारियों/अधिकारियों के उत्तरांचल या उ0प्र0 राज्य में रहने के विकल्प पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में

31–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल राज्य गठन के अवसर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उत्तर प्रदेश या उत्तरांचल राज्य में रहने के विकल्प मांगे गये थे? यदि हाँ, तो शासन ने इस दिशा में 11 मार्च, 2001 तक क्या निर्णय लिये हैं? क्या यह भी सही है कि उत्तरांचल में कार्यरत राजकीय शिक्षकों से उनके इच्छित राज्य में रहने के विकल्प–पत्र भरवाये गये थे? यदि हाँ, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल राज्य गठन के अवसर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विकल्प मांगे थे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के अनुसार कार्मिकों का अन्तिम आवंटन भारत सरकार को करना है।

जनपद देहरादून में अध्यापकों की नियुक्ति न होने से बन्द विद्यालयों को खोलने की योजना की जानकारी

32–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादून में विकास खण्डवार कितने प्राथमिक विद्यालय, अध्यापकों की नियुक्ति न होने के कारण बन्द पड़े हैं?

बन्द विद्यालयों को खोलने की सरकार की क्या कोई कार्य योजना है?

यदि हाँ, तो कब तक ये विद्यालय खोले जायेंगे?

यदि नहीं, तो इन विद्यालय कार्य क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले छात्रों के पठन की सरकार की क्या योजना है?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जनपद देहरादून में अध्यापक नियुक्त न होने के कारण कोई विद्यालय बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

जनपद देहरादून में बन्द पड़े विद्यालयों पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में कार्य योजना की जानकारी

33–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे जनपद देहरादून में शिक्षा सत्र 2000–2001 में प्राथमिक विद्यालयों के कितने अध्यापक/अध्यापिकायें अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण होकर आये?

ऐसे अध्यापकों/अध्यापिकाओं के आने से कितने बन्द पड़े विद्यालय में अध्यापन कार्य आरम्भ हो सका है तथा शेष बन्द पड़े विद्यालयों को खोलने की सरकार की क्या योजना है?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जनपद देहरादून में वर्ष 2000–2001 में कुल 77 अध्यापक/अध्यापिकायें अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण होकर आये हैं जिनमें से कुल 03 अध्यापकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण से आये अध्यापक/अध्यापिकाओं से 08 बन्द विद्यालयों को खोला गया है तथा शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। जनपद में सम्प्रति कोई विद्यालय बन्द नहीं है।

अस्थाई राजधानी के कार्यालयों हेतु क्रय सामान पर अनियमितता के सम्बन्ध में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

34–श्री राम सिंह सैनी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य की अस्थाई राजधानी के सरकारी कार्यालयों के लिये करोड़ों रुपये की सामान की खरीददारी आदि पर गड़बड़ होने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है?

यदि हाँ, तो शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

जाँच आख्या प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। जाँच आख्या पर गुणावगुण के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़ में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजने की मांग

35–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि पिथौरागढ़ जनपद में उच्च शिक्षा के लिए उच्चस्तरीय तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद पिथौरागढ़ में एक 'केन्द्रीय विश्वविद्यालय' स्थापित किये जाने हेतु मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाने के लिए प्रश्नकर्ता को दिनांक 12–1–2001 के पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

प्रस्ताव को कब तक केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी हाँ।

परीक्षणाधीन।

परीक्षणोपरान्त यथासमय।

राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त शिक्षक के पदों को भरने की व्यवस्था की जानकारी

36–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति हेतु पदोन्नति कोटे के पदों पर नियमानुसार पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है तथा सीधी भर्ती के पदों पर यथाशीघ्र चयन किया जायेगा।

रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही सम्प्रति प्रचलित है।

विकल्पधारी कर्मचारियों को अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में

37–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तरांचल में मैदानी संवर्ग का चयन करने वाले उत्तर प्रदेश में जाने को इच्छुक कर्मचारियों की विभागवार संख्या क्या है? ऐसी मैदानी संवर्ग के समस्त कर्मचारियों को कब तक उत्तरांचल की सेवाओं से मुक्त कर उत्तर प्रदेश भेजा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित मैदानी संवर्ग के लगभग 1619 कर्मी उत्तरांचल में विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत कर्मियों का अंतिम आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस बीच अलग–अलग विभागों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत स्थापित सलाहकार समिति के निर्णयों के क्रम में दोनों राज्यों के आपसी परामर्श से उत्तरांचल की विभागीय आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश जाने के इच्छुक कर्मियों को अवमुक्त किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी परन्तु इस पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के सन्दर्भ में आपत्ति की गयी है। इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश को मुक्त किये जाने वाले कर्मियों की संख्या व समय सारिणी इंगित करना सम्भव नहीं है।

लो0नि0वि0 के रिक्त अवर अभियन्ता के पदों को भरे जाने की योजना

38–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सरकार बतायेगी कि लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ताओं के कितने पद हैं।

क्या सरकार इन पदों को शीघ्र भरने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

लो0नि0वि0 में अवर अभि0 (सिविल विद्युत, यान्त्रिक एवं प्राविधिक) के कुल 843 पद स्वीकृत हैं।

जी हाँ।

रिक्त सीधी भर्ती के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने हेतु अधियाचन भेजे जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रोन्नति के रिक्त पदों पर मा0 न्यायालय के स्थगनादेश निरस्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालय की एक बैंच नरेन्द्र नगर में स्थापित करने की मांग

39–श्री लाखी राम जोशी–

क्या मुख्यमंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल की एक बैंच नरेन्द्रनगर में स्थापित करने पर विचार किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

भारत के संविधान की अनुसूची–7 की प्रविष्टि–78 में उच्च न्यायालय के गठन की अधिकारिता भारत संघ में निहित है न कि राज्य सरकार में। अतः राज्य सरकार को नरेन्द्रनगर में बैंच स्थापित करने की अधिकारिता नहीं है। धारा–26, उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन मा0 मुख्य न्यायाधीश से विचार–विमर्श कर (नैनीताल में प्रधान सीट के अतिरिक्त) न्यायाधीशों के अस्थाई रूप से बैठने का स्थान राज्यपाल के अनुमोदन से तय किया जा सकता है किन्तु नरेन्द्रनगर के लिए वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

उत्तरकाशी व टिहरी में राज्य स्तरीय निदेशालयों के स्थापना की जानकारी

40–श्री ज्ञान चन्द्र–

क्या मुख्यमंत्री, कृपया बतायेंगे कि राज्य निर्माण के बाद राज्य स्तरीय विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं निदेशालय किन–किन जनपदों में किन–किन स्थानों पर स्थापित करने का सरकार ने निर्णय लिया है? जिला उत्तरकाशी एवं जिला टिहरी गढ़वाल में राज्यस्तरीय कौन–कौन निदेशालय/कार्यालय स्थापित किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

चण्डीघाट पुल के टोल टैक्स के ठेके की जानकारी

41–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिद्वार–मुरादाबाद मार्ग पर गंगा नदी के चण्डी घाट पुल की वर्ष 2000–2001 की अधिकतम बोली कितनी थी?

अधिकतम बोली के बाद भी क्या विभाग द्वारा स्वयं टोल टैक्स लिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या उच्चतम बोली से अधिक राजस्व विभाग को मिला है?

यदि हाँ, तो कितना?

यदि नहीं, तो उच्चतम बोली/ठेका के विरुद्ध हुए नुकसान को कैसे पूर्ण किया जायेगा?

यदि बोली से कम राजस्व विभाग द्वारा वसूली हुई है तो क्या वर्ष 2001–2002 के लिए उच्चतम बोली के आधार पर उक्त पुल के टोल टैक्स का ठेका कराया जायेगा?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उच्चतम बोली रु0 95.00 लाख थी।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम बोली बोलने वाले ठेकेदार को समय पर अनुबन्ध न बनाये जाने के कारण ठेका नहीं हो पाया तथा इसी कारण ठेकेदार की जमानत नियमानुसार रु0 7.50 लाख जब्त करानी पड़ी। अतः सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ।

वर्ष 2001–2002 के लिए ठेका श्री नीरज उपाध्याय के पक्ष में रु0 59,03,000/– का हुआ जो वर्तमान में चल रहा है।

उत्तरांचल के ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्धता की जानकारी

42–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश के गठन से 31–03–2001 तक कुल कितने ग्रामों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है?

कितने ग्राम अभी भी ऐसे हैं जिन्हें पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

उत्तरांचल प्रदेश के गठन से 31–03–2001 तक 55 असेवित तथा 132 आंशिक सेवित कुल 187 बस्तियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

दिनांक 01–04–2001 को 246 बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिनमें से सितम्बर, 2001 तक 73 बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

विधायकों की संस्तुति पर हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन

43–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000–2001 में सभी विधायकों के क्षेत्रों में उनकी संस्तुति के आधार पर 50–50 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

ग्राम्य विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 202/38–5–2000–657/99, दिनांक 30 जनवरी, 2000 के अनुसार उ0प्र0 के मैदानी क्षेत्र के प्रत्येक

मा0 विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यों द्वारा चयनित स्थलों पर 50–50 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन किया जाना था। जिसके अन्तर्गत हरिद्वार जनपद में 246 हैण्ड पम्पों के सापेक्ष 181 हैण्ड पम्प उपलब्ध धनराशि के अनुरूप अधिष्ठापित किये जा चुके हैं तथा शेष 65 हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

राज्य में गेंहू खरीद पर अनियमितता के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

45–श्री राम सिंह सैनी–

राज्य में चालू वर्ष में गेंहू खरीद में अनियमितता के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं, यदि हाँ, तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

चालू रबी विपणन सत्र 2001–2002 में गेंहू खरीद का दायित्व मात्र दो संस्थाओं क्रमशः भारतीय खाद्य निगम एवं सहकारिता विभाग को सौंपा गया था। केवल ऊधमसिंह नगर में गेंहू खरीद में अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए थे जिनमें से दो मामले भारतीय खाद्य निगम एवं चार मामले सहकारिता विभाग से सम्बन्धित थे।

भारतीय खाद्य निगम से सम्बन्धित दोनों केन्द्र प्रभारियों के विरुद्ध चार्ज शीट जारी कर दी गयी थी जिसके विरुद्ध सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है।

सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अनियमितता प्रकाश में आने पर दो कर्मचारियों को निलम्बित किया गया एवं तीन कर्मचारियों सहित उपभोक्ता सहकारी समिति लि0, सितारगंज, साधुनगर के अध्यक्ष के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

कोटद्वार नगर के सीवर लाइन ठीक कराये जाने की योजना की जानकारी

46–श्री राम सिंह सैनी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कोटद्वार नगर में जगह–जगह सीवर लाईन अवरुद्ध होने से सड़कों पर पानी फैल रहा है और मकानों में भी भर रहा है?

यदि हाँ, तो शासन ने इसको रोकने के विषय में क्या कोई प्रभावी कार्यवाही की है और क्या सीवर को ठीक कराने की कोई योजना बनाई जायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नित्यानन्द स्वामी–

जी नहीं। इस प्रकार की कोई स्थायी समस्या नहीं है। सीवर लाईन के दैनिक सुचारू संचालन हेतु नियमित कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी है जिनके द्वारा लाईन अवरुद्ध

होने पर तुरन्त ठीक करा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

(चूँकि प्रश्नोत्तर प्रारम्भ होने से पूर्व ही मा0 मुख्यमंत्री (नेता सदन) ने त्याग–पत्र की घोषणा कर दी, अतः उपरोक्त सभी प्रश्न उत्तरित मान लिये गये)।

माननीय मुख्यमंत्री के त्याग–पत्र की घोषणा

श्री नित्यानन्द स्वामी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है, चूँकि मैं त्याग–पत्र दे रहा हूँ, इसलिए मैं सारे सदन को, सम्मानित सदस्यों को, सभी माननीय मंत्रियों को और सभी लोगों को, इस प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए कृपा करके पहले मुझे अपना निवेदन करने दें और यदि उसके बाद भी सदन चलाने की कोई औपचारिकता रह जायेगी तो आप चलाएं और दूसरा निवेदन है कि मुझे बैठकर बोलने दें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठकर बोलें।

एजेन्डा के विपरीत विशेष परिस्थिति/राजनैतिक संकट होने की जानकारी चाहने के सम्बन्ध में, औचित्य का प्रश्न

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है। एजेन्डा यह है। मान्यवर, क्षमा के साथ एजेन्डा हमारे पास प्रस्तुत है। एजेन्डे में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि इसका प्रारम्भ कहाँ से हो? पहले तो यह हमें समय से मिला नहीं। क्या एजेन्डा के विपरीत कोई विशेष परिस्थिति, कोई राजनैतिक संकट पैदा हो गया है जिसके लिए एजेन्डा से हटते हुए विशेष परिस्थितियों में आपको यह सूचना लेनी पड़ रही है। क्या ऐसा कोई राजनैतिक संकट पैदा हो गया है। हम सदन के मेम्बर हैं हमें यह अधिकार है कि हम आपसे यह रक्षा करवाएं और यह जाने कि क्या कोई विशेष राजनैतिक संकट पैदा हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक शब्द कहा कि चूँकि मैं, त्याग–पत्र दे रहा हूँ और आपका यह एजेन्डा है। मान्यवर, क्या कोई विशेष राजनैतिक संकट है जिससे माननीय सदस्यों को अवगत कराना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

श्रीमन्, जैसा माननीय डॉ0 इन्दिरा हृदयेश जी ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो मन्तव्य जाहिर किया उससे एक बात स्पष्ट होती है और यह छिपा भी नहीं है किसी से

सार्वजनिक तौर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कह चुके हैं कि निहायत दबाव में आकर उन्हें अपना त्याग–पत्र देना पड़ रहा है। (व्यवधान)

त्याग–पत्र की घोषणा पर चर्चा

श्री नित्यानन्द स्वामी–

मान्यवर, मैं खड़ा हूँ। न किसी का दबाव है। मैं अपनी आत्मा की आवाज पर त्याग–पत्र देने जा रहा हूँ। मुझे यह अधिकार है कि जब मैं सदन के अन्दर जब चाहूँ मैं बोलूँ, एजेन्डा एक तरफ रहेगा। मैंने कह दिया कि मैं त्याग–पत्र दे रहा हूँ, आपको क्या आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। नेता सदन जब चाहें सदन में किसी भी कार्य के बीच में, किसी भी कार्यक्रम के बीच में, एजेन्डे के किसी भी बिन्दु के बीच में खड़े होकर कोई भी बात कह सकते हैं, सदन से सम्बन्धित कोई भी बात कह सकते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी के बारे में अभी भी कोई विरोध या उनके बारे में कोई दबाव या ऐसी मांग विपक्ष की ओर से नहीं की गई, तो मा0 मुख्यमंत्री जी को त्याग–पत्र क्यों देना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता सदन को मैं बोलने के लिए कह चुका हूँ।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको सबसे पहले इस सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपने सभी सदस्यों की और मंत्रिमण्डल की भावनाओं का सम्मान किया और विरोध पक्ष को भी कभी उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने वक्तव्य से पहले पं0 गोबिन्द बल्लभ पंत जी तथा इस राष्ट्र के, इस प्रदेश के सर्वोच्च नेता जो कभी हुए हैं, उन सभी के प्रति नमन करता हूँ और जिन शहीदों ने उत्तरांचल का निर्माण किया उन शहीदों को नमन करते हुए और राज्य आन्दोलन के शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारम्भ करता हूँ।

सबसे पहले मैं धन्यवाद उत्तरांचल की जनता को देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना आदर, सम्मान और प्यार हमको दिया। जनता से सीधे संवाद से ही मुझे लगा कि राजनीतिक जीवन सार्थक हुआ है। कई बार मेरे सहयोगियों और विपक्षी मित्रों द्वारा शिकायतें की गई कि मैं अधिक समय जनता को देता हूँ किन्तु मुझे ठीक लगा कि जनता, जिसने मुझे निरन्तर इतना प्यार दिया और इसी प्यार और सम्मान के कारण मुझे गढ़वाल एवं कुमाऊँ के सभी जिलों से लगातार स्नातकों द्वारा जिताकर विधान परिषद् में भेजा और उत्तरांचल देवभूमि के सभी देवी–देवताओं के आशीर्वाद से लगातार 10 वर्षों तथा सभी दलों की सर्वसम्मति से विधान परिषद् का सभापति चुना गया। यह उल्लेखनीय है कि सभी दलों के सदन में भा0ज0पा0,

स0पा0, ब0स0पा0, लोकदल आदि व निर्दलीय सभी थे तथा विदाई के समय सभी विरोधी नेताओं तक ने मेरे प्रति बहुत अच्छे शब्द प्रयोग करे, यहाँ तक कि श्री ओम प्रकाश शर्मा जो इस समय चेयरमैन हैं, ने तो कहा था कि इस सदन से "हम सबका महबूब विदा हो रहा है"। मेरे धन्यवाद की असली हकदार जनता ही है। यह लोगों का प्यार ही था जिन परिस्थितियों में राज्य का कार्य शुरू किया और एक वर्ष का सफर सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं अपने सभी मंत्रिपरिषद् के सभी मा0 सदस्यों, मा0 विधायकगण तथा विपक्ष के मा0 साथियों का आभार प्रकट करता हूँ जिनके सहयोग और स्नेह से मैं यह सफर तय कर पाया :–

मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर,
लोग साथ आते गये कॉरवां बनता गया।

मैंने आज तक कभी भी शायरी नहीं की मगर आज कर रहा हूँ।

राज्य में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के विशेष सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने न्यूनतम संसाधनों के होते हुए भी पूर्ण लगन और मेहनत से कार्य कर विकास कार्य को गतिमान किया। मैं कर्मचारियों को ह्रदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरकार से सहयोग के लिए दो वर्ष का वचन दिया, मेरीटोरियम रखने का वचन दिया जिसके दौरान वह कोई भी हड़ताल अथवा अनशन इत्यादि नहीं करेंगे। अध्यापक पंचम वेतनमान की मांग कर रहे थे जिसकी घोषणा शीघ्र हो जायेगी अभी घोषणा करने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि केबिनेट की औपचारिकता शेष है। मैंने सभी अधिकारियों को सम्मान दिया, यह बात गलत है कि मैंने अधिकारियों पर सख्ती नहीं की, क्योंकि अनुशासनहीनता के लिये लगभग तीन सौ से ज्यादा अधिकारियों को निलम्बित किया। हाँ यह सच है कि मैंने किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को जनता के सामने अपमानित नहीं किया। मैंने दबाव में काम न करने की परम्परा की शुरूआत की है, इसमें सभी से अनुरोध किया कि यदि आपकी कोई समस्या या शिकायत हो तो सीधे मुझे बतायें यदि सम्भव होगा तो मैं पूर्ण करूँगा अन्यथा किसी अनशन अथवा हड़ताल के दबाव की राजनीति में कार्य नहीं करूँगा।

मैंने हमेशा प्रयास किया कि महिलाओं को हमारे समाज में आदर व उचित सम्मान मिले। महिला सशक्तिकरण के लिये कार्य किये गये। मैं आने वाली पीढ़ी से भी आवाहन करूँगा कि मातृशक्ति को नमन करे।

आप सभी के सहयोग से उत्तरांचल के सभी वर्गों को जोड़ा और समरसता बनायी, यह आप सभी का प्यार था कि हिन्दू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन तथा अन्य सभी धर्मों से मुझे बराबर सहयोग व आशीर्वाद मिला। पिरान कलियर का मेला हो या 25 दिसम्बर का बड़ा दिन या गुरू पर्व, महावीर जयन्ती सभी अवसरों पर मेरी सक्रिय भागीदारी बनी रही। सभी से अपार प्रेम मिला, जितनी भारी भीड़ जनसभाओं में जुड़ी और इतना समर्थन जनता ने दिया। सभा में जनता ने हाथ खड़े करके, लगातार हर्ष ध्वनि करके उन्होंने अपना प्यार तथा अपनी प्रतिबद्धता उत्तरांचल सरकार के लिये दिखायी :–

गिला नहीं किसी से करते हैं सबका आभार,
मिलजुल कर करे प्रगति बढ़ता है आपस में प्यार।

हम लोगों की यह हर्ष की बात है कि हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला और सब का प्यार मिला है। हमने पचास हजार नियुक्तियों का लक्ष्य रखा है जिसमें कुछ हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। हमारे राज्य में जनता की मांग रही जिसको हम पूरा कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश से परिसम्पत्तियों के बंटवारे में दिक्कतें आई, लेकिन हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा, अधिकारी, कर्मचारियों, टीचर्स के मामले में काम आगे बढ़ रहा है, उत्तरांचल निवास हमें मिला यह एक हर्ष की बात है।

सरकार के कामकाज में हमने पारदर्शिता की परम्परा बनाई।

माफियाराज से त्रस्त उत्तरांचल को माफिया से मुक्ति दिलाई और शायद यही ताकतें हमेशा हमारी सरकार अस्थिर करने का प्रयास करती रही परन्तु उनके कब्जे से लगभग 6 हजार एकड़ जमीन मुक्त करा दी, बजरी–शराब के एकाधिकार को समाप्त किया। मैंने जीवन में अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा।

हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़क जैसी आवश्यकताओं को अपनी प्राथमिकताओं में रखा।

शिक्षा में विशिष्ठ बी0टी0सी0, शिक्षा मित्र, शिक्षा बन्धु तथा 13 डिग्री कालेज की हमने एक नई पहल की है।

स्वास्थ्य के लिए ग्राम सभाओं तथा आंगनबाड़ी स्तर पर, उपलब्ध दवाइयों की सूची बनाकर हमने पारदर्शिता निभाई है।

पेयजल का लगातार काम चल रहा है। राज्य की पेयजल व्यवस्था में सुधार हुआ है, सुधार की दिशा में पेयजल महकमों का एकीकरण कर शासकीय नियोजन में लिये जाने की आवश्यकता है, वह हो रहा है।

पर्यटन एवं उद्योग नीति सफल हुई है।

बहुत बड़ी मात्रा में सड़कें बन रहीं हैं, 500 की आबादी के गांव जोड़े जा रहे हैं। मुख्य मार्ग, चौराहें, सड़कें चौड़ी हो रही हैं।

ट्रैफिक लाइट, ट्रांसपोर्ट नगर, बस टर्मिनल, पार्किंग सब बन रहे हैं।

वक्फ बोर्ड, हज कमेटी इत्यादि हमने बना दी हैं।

वन में उल्लेखनीय धनोपार्जन बढ़ा है।

गृह विभाग, उत्तरांचल में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस विभाग ने कर्तव्यनिष्ठा से कार्य किया। चाहे मामला चोरी का हो, डकैती का हो या हाथी दाँत का प्रकरण हो। हमारे पुलिस विभाग के द्वारा ही 12 बदमाश मारे गये और हाथी के सभी दाँत हमने वापिस उपलब्ध करा लिये।

ग्राम्य विकास में ग्राम, पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें सब सक्रिय हुई हैं। सहकारिता का त्रिस्तरीय से दो स्तरीय ढांचा बनाया गया है। कृषि एवं खाद्य में उल्लेखनीय सफलता मिली है। एक दर्जन से ज्यादा मण्डिया कायम की हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, परिसम्पत्तियों के बंटवारे का लगभग कार्य पूरा हो चुका है। जल्दी ही हम ऊर्जा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो जायेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 12 प्रतिशत विद्युत प्रत्येक योजना से रॉयल्टी के रूप में मिलती है और आगे भी मिलेगी।

खेलकूद में राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा अपनी संस्कृति के प्रचार के लिये कार्य किये।

इस सरकार ने पेड़ लगा दिया, फल जब भी मिलें सब के लाभ के लिये होंगे। राजनीति में नैतिक मूल्यों को मैंने नहीं छोड़ा इसका मुझे संतोष है।

नेतृत्व की कठिनाइयां जिसके अन्दर आलोचना करना आसान है, परन्तु उसको करना कठिन है :—

कहाँ तक वक्त के दरिया को बहता हुआ देखें,
हसरते यह हैं कि कुछ होता हुआ देखें।

राजधानी का सवाल अभी तक उलझा हुआ है, हमने एक आयोग बैठाया लेकिन लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे को नई सरकार तय करे, इसलिए हमने इस कार्य को रोक दिया।

बाकी कार्य विकास की गति बना चुके हैं। अतः यह प्रश्न भी अब व्यवहारिकता की दृष्टि से सुलझना चाहिये। मेरे उत्तरांचल मूल के प्रश्न ने ही मुझे हमेशा उत्तरांचल और मेरे बचपन से जोड़ कर रखा। मैं अपने उन पत्रकार मित्रों को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बार—बार यह सवाल उठाया। इसलिये कि इस भाग—दौड़ की दिनचर्या में जब भी यह सवाल पूछा गया मुझे हमेशा पुराना एफ0आर0आई0 का घर, अपना स्कूल, और विशेष देहरादून का कालेज जहां से मैंने राजनीतिक अध्याय शुरू किया। याद आये। हताशा भी हुई कि मुझसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने की अपेक्षा की जा रही है।

मान्यवर, नये राज्य में जनता की अपेक्षाएं होना स्वाभाविक ही था। हमने 16—17 घण्टे काम करके इन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास भी किया। मनुष्य की सीमाओं की बाध्यता ने शायद मुझे इन पर पूरा उतारा हो या नहीं, परन्तु मुझे संतोष है कि मैंने अपने काम के साथ पूरा न्याय किया है। मैं प्रेस तथा मीडिया का विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने समय—समय पर मेरे कार्यों की समीक्षा की। मैं प्रेस को भी वह सब छापने के लिए धन्यवाद देता हूँ जिनसे मैं हमेशा सुर्खियों में बना रहा। मैं यह भी मानता हूँ कि सूचना विभाग में हमारी असफलता रही क्योंकि मैं इस सफलता के हथकण्डे नहीं जानता और यदि जानता भी तो मैंने उनको अपनाया नहीं। मेरे कार्य के दौरान जाने—अनजाने में मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा करना। पूरे उत्तरांचल में कुमाऊँ, गढ़वाल और मैदान के लाखों लोग रो रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा, धैर्य रखो, सदैव न्याय की जीत होती है :—

"वक्त का सिलसिला है चलने भी दीजिए,
अरमान खुशहाली के निकलने भी दीजिए।"

इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने जो स्नेह अभी तक दिया है, भविष्य में भी देते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ :–

"वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या,
जिस पथ में बिखरे शूल न हों।
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या,
यदि धारायें प्रतिकूल न हों।
चलेंगी आंधियां फिर भी,
गिरेंगी बिजलियां फिर भी।
यह सब कुछ है, बनाएंगे,
मगर हम आशियां फिर भी।

अन्त में, आप सबको धन्यवाद देते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, माननीय आडवाणी जी को तथा अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक वर्ष तक मुझे उत्तरांचल में कार्य करने का अवसर दिया। पुनः माननीय अध्यक्ष जी को, सभी माननीय सदस्यों को और इस राज्य की जनता को धन्यवाद देता हूँ।

धन्यवाद!

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित

श्री अध्यक्ष–

चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वेच्छा से त्याग–पत्र देने की घोषणा की है, अतः इससे उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता हूँ।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

(इसके बाद सदन 11 बजकर 19 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया)

सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

दिनांक : 29–10–2001

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं0 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर)

अनुपूरक सामग्री

अपर सचिव, परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में उत्तरांचल राज्य परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में दिनांक 25–9–2001 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, बैठक में निदेशक, केन्द्रीय मार्ग परिवहन संस्थान भी उपस्थित थे। बैठक में यह तय हुआ कि उत्तरांचल प्रदेश में परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु एक अध्ययन करा लिया जाय, यह अध्ययन केन्द्रीय मार्ग परिवहन संस्थान जो कि भारत सरकार परिवहन मंत्रालय के अधीन ही कार्यरत है, से करवाया जाय।

केन्द्रीय मार्ग परिवहन संस्थान पुणे, जो केन्द्र सरकार का संस्थान है, के निदेशक द्वारा अध्ययन से सम्बन्धित प्रस्ताव तथा इस अध्ययन हेतु रु0 15.00 लाख की धनराशि की मांग की गई है। मुख्य सचिव के पत्र संख्या 312/सी0एस0 ट्रांसपोर्ट/2001, दिनांक 28–9–2001 द्वारा श्री अशोक जोशी, सचिव, भारत सरकार, रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज मंत्रालय, 1–पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ठ परिस्थितियों में सड़क परिवहन के गठन के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन किसी संस्था से कराने हेतु फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में पुनः भारत सरकार के उक्त अधिकारी को मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 376/सी0एस0/परिवहन/2001, दिनांक 24–10–2001 द्वारा अध्ययन के लिए रु0 15.00 लाख की वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त अध्ययन के लिए 4 माह का समय इंगित किया गया है, परन्तु मुख्य सचिव, उत्तरांचल द्वारा संस्थान के निदेशक से वार्ता कर यह अनुरोध किया गया है कि कम से कम संस्थागत व्यवस्था से सम्बन्धित अध्ययन एवं संस्तुतियां बहुत शीघ्र उपलब्ध करा दी जायं, जिस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की है।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न सं0 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

अनुपूरक सामग्री

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2001 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित माननीय सदस्य विधान सभा श्री ईसम सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 की अनुपूरक सामग्री।

उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् नवगठित राज्य में उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी शिक्षकों की संख्या लगभग 5004 है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के पारित होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के पत्रांक 7/भारत सरकार/कार्मिक–1/2000/13/2000, दिनांक 23–9–2000 के द्वारा यह निर्देश जारी हुये थे कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 73 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों का आवंटन अंतिम रूप से किया जायेगा और यह भी निर्धारित किया जायेगा कि प्रदेश में राज्य सेवा संवर्गों के समस्त कर्मियों को विकल्प देने का अवसर दिया जाय। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत सरकार के पत्र के प्रस्तर–2 "क" के अनुसार यह विकल्प उन कर्मियों को नहीं दिया जाना है जो ग्राम, विकास खण्ड, तहसील, जिला, मण्डल एवं उस क्षेत्र के संवर्ग से सम्बन्धित हैं, जो पूर्णतः उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित हों।

नवगठित उत्तरांचल राज्य में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों तथा प्रवक्ताओं के पदों के लिए पर्वतीय संवर्ग उक्त अधिनियम के पारित होने के पूर्व से ही गठित था। प्रवक्ताओं के लिये उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षिक (प्रवक्ता श्रेणी) सेवा नियमावली, 1992 के भाग–1, सामान्य नियम–3, परिभाषाओं के उपनियम (एच) में पर्वतीय संवर्ग को परिभाषित किया गया है। इसमें पर्वतीय संवर्ग का तात्पर्य गढ़वाल तथा कुमायूँ के जनपदों से लिया गया है।

जहां तक एल0टी0 ग्रेड के अध्यापकों के विकल्प का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि एल0टी0 ग्रेड का संवर्ग मण्डलीय संवर्ग है। इसलिए एल0टी0 ग्रेड के अध्यापकों से विकल्प नहीं मांगा गया। एल0टी0 ग्रेड के शिक्षकों के लिये बनायी गयी सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 के भाग–2 (संवर्ग) के प्रस्तर–4 में यह उल्लेख किया गया है कि एल0टी0 वेतनक्रम के शिक्षकों का सेवा संवर्ग पुरुष और महिला दोनों शाखाओं के लिये सम्भागीय संवर्ग होंगे। सम्भागीय सवर्ग का तात्पर्य मण्डलस्तरीय संवर्ग से है क्योंकि एल0टी0 ग्रेड के अध्यापकों का चयन मण्डल विशेष के लिए ही किया जाता है।

विकल्प निर्धारण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में यह व्यवस्था की गयी कि कार्मिकों के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जायेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा। इस परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा मेहरा कमेटी गठित की गयी है। जिसकी उत्तरांचल के मुख्यालय पर बैठक सम्पन्न हो चुकी है। अगली बैठक दिल्ली में सुनिश्चित की जायेगी। मेहरा समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 विधान सभा/636–06–01–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।